

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन (राज्यांश-0306)- 90/2019.....<sup>2344</sup>

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,  
भागलपुर/मुंगेर/पटना/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)  
बेगूसराय/जहानाबाद

पटना, दिनांक :- 8/9/2022

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 103- भू-अभिलेख - उप शीर्ष -0306- राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP)- माँग संख्या- 40- विपत्र कोड- 40-2029001030306 के अन्तर्गत ईकाई कोड- 52 01 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अंचलस्तरीय डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार को कार्यकारी बनाने हेतु आधुनिक उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि के आपूर्ति हेतु आपके अध्याचना के आलोक में निम्नानुसार आवंटन निर्गत किया जा रहा है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	भागलपुर	57,99,663.00
2	मुंगेर	14,58,569.00
3	पटना	96,06,300.00
4	पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	19,80,502.00
5	बेगूसराय	42,75,419.00
6	जहानाबाद	36,36,100.00
कुल योग :-		2,67,56,553

(दो करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार पाँच सौ तिरपन रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1294 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001030306 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक : 8/9/22

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (राज्यांश-0306)- 90/2019.....2344

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 8/9/22

ज्ञापांक - 17-आवंटन (राज्यांश-0306)- 90/2019.....2344

प्रतिलिपि:- संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 8/9/22

ज्ञापांक - 17-आवंटन (राज्यांश-0306)- 90/2019.....2344

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 8/9/22

ज्ञापांक - 17-आवंटन (राज्यांश-0306)- 90/2019.....2344

प्रतिलिपि :- श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 8/9/22